आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा

2022(2)

1636

अमन चौधरी से पहले, जे.

बिजेन्डर-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य-उत्तरदाता

2022 का सी. आर. एम.-एम No.5101

24 अगस्त, 2022

सीमा अधिनियम, 1963-अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा आदेश को दरकिनार करने की याचिका, जिसके तहत पुनरीक्षण याचिका को दाखिल करने में 54/55 दिनों की देरी के आधार पर खारिज कर दिया गया था-बीमारी के संबंध में कोई दस्तावेज रिकॉर्ड में नहीं रखा गया था-विभिन्न बीमारियों से पीड़ित होने के कारण के रूप में उल्लिखित देरी की माफी के लिए आवेदन-बर्खास्तगी का कारण तकनीकी है-मामले की सुनवाई गुण-दोष के आधार पर नहीं की गई-वर्तमान याचिका की अनुमति दी गई। अभिनिर्धारित किया गया कि मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ इसी तरह के तथ्यों में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय को देखते हुए, वर्तमान याचिका की अनुमति दी जाती है। 22.11.2021 दिनांकित आक्षेपित आदेश को अलग रखा गया है। नतीजतन आपराधिक पुनरीक्षण दाखिल करने में 54/55 दिनों की देरी को माफ कर दिया जाता है। विद्वत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को पुनरीक्षण याचिका को उसकी मूल संख्या में बहाल करने और कानून के अनुसार गुण-दोष के आधार पर उसका निपटारा करने का निर्देश दिया जाता है।

अदिति गिरधर, एएजी, हरियाणा। राजेश दुहान, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 2 (कानूनी सहायता सलाहकार) के लिए

(1) विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पानीपत ने दिनांक 22.11.2021 (अनुलग्नक पी-9) के आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को दाखिल करने में 54/55 दिनों की देरी के आधार पर खारिज कर दिया है। (2) याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए इस तर्क पर कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता द्वारा बिजेंद्र बनाम हरियाणा राज्य और अन्य पर उठाए गए मुद्दे की जांच नहीं की है, इस मामले में इस न्यायालय द्वारा 08.02.2022 पर प्रस्ताव की सूचना जारी की गई थी।

1637

( अमन चौधरी, जे.)

(4) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उक्त देरी इस तथ्य के कारण हुई थी कि आवेदक-संशोधनवादी इलाज करा रहा था और उसकी चिकित्सा स्थिति अच्छी नहीं थी। उक्त तथ्य के कारण, वह उपरोक्त संशोधन समय पर दाखिल नहीं कर सके। वह आगे प्रस्तुत करता है कि यदि देरी की अवधि को माफ नहीं किया जाता है, तो आवेदक-याचिकाकर्ता को गंभीर पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ेगा। (5) प्रत्यर्थी संख्या 2 के विद्वान वकील को आदेश को दरकिनार किए जाने के मामले में कोई आपत्ति नहीं है और विद्वान अपीलीय न्यायालय को गुण-दोष के आधार पर संशोधन सुनने का निर्देश दिया जाता है।

(6) पक्षों के विद्वान वकील को सुना।

(7) जैसा कि विवादित आदेश से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने देरी की माफी के लिए एक आवेदन दायर किया था जिसमें विभिन्न बीमारियों से पीड़ित होने के विशिष्ट कारणों का उल्लेख किया गया था जिनके लिए वह नियमित रूप से उपचार ले रहा था।

(8) माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने दिनांकित निर्णय के माध्यम से

09.02.2019 ए. नारायणमूर्ति बनाम के मामले में पूवरागवन और एक अन्य ने धारा 482 Cr.P.C के तहत याचिका को स्वीकार कर लिया था और पांडिचेरी के विद्वान प्रधान सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया था, जिसने देरी के आधार पर संशोधन को खारिज कर दिया था। निर्णय के प्रासंगिक पैरा 4 से 6,8,14 निम्नानुसार हैः -

''4. उसी को चुनौती देते हुए, याचिकाकर्ता ने एक संशोधन दायर करने का इरादा किया है। लेकिन इसे सीमा अवधि के भीतर दायर नहीं किया गया है। इसलिए, याचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता ने आई. एल. आर. पंजाब और हरियाणा दायर किया।

2022(2)

1638

पुडुचेरी में विद्वान प्रधान सत्र न्यायाधीश के समक्ष 2018 का Crl.M.P.No.250, आपराधिक संशोधन याचिका दायर करने में 93 दिनों की देरी को माफ करने का अनुरोध करता है।

8. अब, दोनों पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा की गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करने और विद्वान प्रधान सत्र न्यायाधीश, पुडुचेरी द्वारा पारित विवादित आदेश को देखने पर, ऐसा लगता है कि देरी को माफ करने के लिए दायर आवेदन को दो आधारों पर खारिज कर दिया गया था। विद्वान प्रधान सत्र न्यायाधीश, पुडुचेरी ने विशेष रूप से कहा है कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन में, उन्होंने यह नहीं बताया है कि उन्होंने किस आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका को प्राथमिकता दी है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता की बीमारी को साबित करने के लिए, याचिका के साथ कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अलावा, देरी की गणना के लिए, आवश्यक विवरण जो आवश्यक हैं, प्रस्तुत नहीं किए गए थे और इसलिए, याचिका खारिज करने के लिए उत्तरदायी है। 14. केवल उक्त परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता ने उक्त आदेश को संशोधित करने के लिए विद्वान प्रधान सत्र न्यायाधीश, पुडुचेरी से संपर्क किया। लेकिन, इस कारण से कि इसे सीमा की अवधि के भीतर दायर नहीं किया गया है, उन्होंने देरी को माफ करने के लिए एक आवेदन दायर किया। इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा संबोधित शिकायत, केवल इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह विद्वान प्रधान सत्र न्यायाधीश, पुडुचेरी के लिए खुला है कि वे बिजेंद्र बनाम हरियाणा राज्य और अन्य राज्यों के बाद इस मुद्दे पर निर्णय लें।

1639

( अमन चौधरी, जे.)

विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट No.IV, पुडुचेरी द्वारा पारित विवादित आदेश पर विचार करते हुए। अन्यथा, इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि विद्वान प्रधान सत्र न्यायाधीश, पुडुचेरी द्वारा बताए गए कारण एक तकनीकी हैं और इसलिए, वही इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की अनुमति देता है और तदनुसार, आपराधिक मूल याचिका की अनुमति है। नतीजतन, आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर करने में 93 दिनों की देरी को माफ कर दिया जाता है। प्रधान सत्र न्यायाधीश, पुडुचेरी को एच. टी. टी. पी. नंबर देने का निर्देश दिया गया हैः //डब्ल्यू. डब्ल्यू. जूडिस। ठीक है। याचिकाकर्ता द्वारा दायर 2019 की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका में और इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर गुण-दोष और कानून के अनुसार इसका निपटारा करें। ”

(12) मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ इसी तरह के तथ्यों में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय को देखते हुए, वर्तमान याचिका की अनुमति दी जाती है। 22.11.2021 दिनांकित आक्षेपित आदेश को अलग रखा गया है। नतीजतन आपराधिक पुनरीक्षण दाखिल करने में 54/55 दिनों की देरी को माफ कर दिया जाता है। विद्वत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को पुनरीक्षण याचिका को उसकी मूल संख्या में बहाल करने और कानून के अनुसार गुण-दोष के आधार पर उसका निपटारा करने का निर्देश दिया जाता है। दिव्या गुर्ने